डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

व इजलास परसाराम आर.ए.एस.

1. रामेश्वर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. श्योदान पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. रामपाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादीगण

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. रायचन्द पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. सुरेश पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. सुरेश पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. रणजीत पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. मुकेश पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. महेन्द्र पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. सुरेन्द्र पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. रामवतार पुत्र मोती जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. भंवरलाल पुत्र जगनाथ जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. श्योचन्द पुत्र जगनाथ जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. सेठू पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
13. तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
14. नोरत पुत्र प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 282/2018

निर्णय दिनांक :

न्यायालय हाजा में वकील पक्षकारान् की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 15/12/2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री परसाराम, आर.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं बहस पक्षकारान् के अनुसार वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 स्वयं, उनके वारिसान एजेन्ट आदि को वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ग्राम चीताखेड़ा स्थित ख0नं0 232 रकबा 08–04–00 भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान आदि नहीं करने, वादीगण के कृषि कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, व्यवधान आदि कारित नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह डिक्री आज तारीख 15/12/21 को मेरे हस्ताक्षर से व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 282/2018

1. रामेश्वर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. श्योदान पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. रामपाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादीगण

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. रायचन्द पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. सुरेश पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. सुरेश पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. रणजीत पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. मुकेश पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. महेन्द्र पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. सुरेन्द्र पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. रामवतार पुत्र मोती जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. भंवरलाल पुत्र जगनाथ जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. श्योचन्द पुत्र जगनाथ जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. सेदू पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
13. तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
14. नोरत पुत्र प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram.
Date: 2022.02.16 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय वाद पत्र धारा अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक: 15/12/2021

उपस्थित: श्री रामदेव गुर्जर प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थीगण अभिभाषक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

वादीगण द्वारा वाद पत्र में दावा किया है कि वादीगण की कब्जे काश्त, सयुक्त खातेदारी, उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम चीताखेड़ा, पटवार क्षेत्र खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 232 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा है। उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 163/164 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है जिसका रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा होता है एवं औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 का उपरोक्त ख0नं0 में 1/164 हिस्सा जो मात्र 1 बिस्वा निहित है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 14 को औपचारिक प्रतिवादी के रूप में सयुक्त किया गया है। जिससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण अपनी आराजी में मकान बनाकर, पशुओं के लिये चारागाह आदी बनाकर अधिवास कर रहे हैं एव शेष भूमि पर कृषकिय कार्य करते है एवं चारों ओर मिट्टी की डोल डालकर उपयोग–उपभोग, कब्जा काश्त अधिवास व पशुओं व परिवार के साथ अधिवास कर रहे है। वादीगण के उपयोग–उपभोग, कब्जे–काश्त, अधिवास में प्रतिवादी मदाखलत करने पर आमादा है एवं ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर एवं मौका पाकर उस मेडबन्दी/मिट्टी की डोल को ध्वस्त करने पर उद्धत है एवं वादीगण की कृषि भूमि में बने मकान को ध्वस्त करने पर आमादा है। जिस कारण न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। जिसका वादीगण उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का किसी प्रकार से कोई हित–अधिकार व स्वत्व निहित नहीं है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 द्वारा बिना किसी वैध अधिकार के वर्णित आराजी में वादीगण के कृषकिय कार्य में व्यवधान, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, रहवास में मदाखलत कारीत करने पर आमादा है एवं आराजी में बने वादीगण के रहवास, पशुओं के लिये चारागाह को ध्वस्त करने पर आमादा है। जबकि वादीगण की संयुक्त खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का कोई हित नही है। वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषकिय कार्य मे व्यस्त था तभी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा मौके पर आकर अवैध अधिकार जताते हुये मौके पर वादीगण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

लडाई–झगडा कर वादीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं वादीगण के बने पक्के मकानों को तोड़ने, ध्वस्त करने पर उद्धत हो गये। जिसको वादी ने असफल कर दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा पुनः अवैध गुट तैयार कर वादीगण के कृषि भूमि में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने की धमकी दी एवं बने पक्के मकान से बेदखल करने एव चौतरफा मिट्‌टी की डोल को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी इस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को जरिये स्थाई निषैधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वादीगण की संयुक्त खातेदारी में वादीगण के कृषकिया कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि की मेड़, मिट्‌टी की डोल, सीमाओं को क्षतिग्रस्त नही करे एवं न ही आराजी में बने पक्के मकान, चारागाह आदी को तोड–फोड़, ध्वस्त न करे, वादीगण को मौके से बेदखल नहीं करे एवं वादीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। वाद कारण दिनांक 26.08.2018 को वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे तभी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा मौके पर आकर अवैध अधिकार जताते हुये मौके पर वादीण से लडाई–झगडा कर वादीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं वादीगण के बने पक्के मकानों को तोडने, ध्वस्त करने पर उद्धत हो गये। जिसको वादीगण ने असफल कर दिया परन्तु प्रतिवादी भूमि में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने की धमकी दी एवं बने पक्के मकान से बेदखल करने एवं चौतरफा मिट्‌टी की डोल को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी तत्पश्चात् वादीगण ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 27.08.2018 को सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। तब से वाद कारण निरन्तरण जारी है। एवं प्रतिवादी संख्या 13 भू–धारी होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना करवाने के लिये सक्षम अधिकारी हाने से पक्षकार संयोजित किया गया हैं। अतः वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 की कब्जे काश्त, संयुक्त खातेदारी, उपभोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम चीताखेड़ा, पटवार क्षेत्र खातोली जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 232 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को इस [illegible] पाबन्द किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक [illegible] जावें की वादीगण की आराजी में निर्मित मकान, चारागाह, [illegible] डोल/मेडबन्दी को किसी प्रकार से ध्वस्त/खुर्द–बुर्द नहीं करे एवं ब्लात अतिच[illegible] नही करे एवं वादीगण के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे वादीगण को मौके से बेदखल नही करे, वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

के उपयोग–उपभोग में बाधा/मजाहमत उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

3. प्रतिवादीगण को वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (व्यवहार प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट 'ख' का फार्म सं0 1) के तहत् जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 एवं 14 के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 16.01.2020 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 13 के द्वारा जबाव दावा पेश नही करने के कारण दिनांक 04.03.2020 को उनका जबाव दावा बन्द करने के कारण प्रकरण में विवादक बिन्दू कायम नहीं किये गये।

4. उक्त प्रकरण में वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण की कब्जे काश्त, सयुक्त खातेदारी, उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम चीताखेड़ा, पटवार क्षेत्र खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 232 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 163/164 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज जिसका रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा आती हैं एवं औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 का उपरोक्त खसरा नम्बर में 1/164 हिस्सा जो मात्र 1 बिस्वा निहित है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 14 को औपचारिक प्रतिवादी की के रूप में सयुक्त किया गया है। जिसमें कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं यह कि वादीगण अपनी आराजी में मकान बनाकर, पशुओं के लिये चाराग्राह आदी बनाकर अधिवास कर रहे हैं एव शेष भूमि पर कृषकिय कार्य करते है एवं चारों ओर मिट्टी की डोल डालकर उपयोग–उपभोग, कब्जा काश्त अधिवास व पशुओं व परिवार के साथ अधिवास कर रहे है। वादीगण के उपयोग–उपभोग, कब्जे–काश्त, अधिवास में प्रतिवादी मदाखलत करने पर आमादा है एवं ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर एवं मौका पाकर उस मेडबन्दी/मिट्टी की डोल को ध्वस्त करने पर उद्धत है एवं वादीगण की कृषि भूमि में बने मकान को ध्वस्त करने पर आमादा है। वादीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। जिसका वादीगण उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का किसी प्रकार से कोई हित–अधिकार व स्वत्व [illegible] है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 द्वारा बिना किसी वैध [illegible] वादीगण के कृषकिय कार्य में व्यवधान, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, [illegible]वास में मदाखलत कारीत करने पर आमादा है एवं आराजी में बने वादीगण के रहवास, पशुओं के लिये चाराग्रह को ध्वस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

करने पर उद्धत है। जबकि वादीगण की संयुक्त खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का कोई स्वत्व नही है। वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषकिय कार्य में व्यस्त था तभी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा मौके पर आकर अवैध अधिकार जताते हुये मौके पर वादीगण से लडाई–झगडा कर वादीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं वादीगण के बने पक्के मकानों को तोड़ने, ध्वस्त करने पर उद्धत हो गये। जिसको वादीगण ने असफल कर दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा पुनः अवैध गुट तैयार कर वादीगण के कृषि भूमि में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने की धमकी दी एवं बने पक्के मकान से बेदखल करने एव चौतरफा मिट्टी की डोल को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी वाद कारण दिनांक 26.08.2018 को वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे तभी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा मौके पर आकर अवैध अधिकार जताते हुये मौके पर वादीण से लडाई–झगडा कर वादीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं वादीगण के बने पक्के मकानों को तोडने, ध्वस्त करने पर उद्धत हो गये। जिसको वादीगण ने असफल कर दिया परन्तु प्रतिवादी भूमि में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने की धमकी दी एवं बने पक्के मकान से बेदखल करने एवं चौतरफा मिट्टी की डोल को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी तत्पश्चात् वादीगण ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 27.08.2018 को सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। तब से वाद कारण निरन्तर जारी है एवं प्रतिवादी संख्या 13 भू–धारी होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना करवाने के लिये सक्षम अधिकारी हाने से पक्षकार संयोजित किया गया हैं। अतः वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 की कब्जे काश्त, संयुक्त खातेदारी, उपभोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम चीताखेड़ा, पटवार क्षेत्र खातोली जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 232 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को इस आशय से पाबन्द किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाया जावें की वादीगण की आराजी में निर्मित मकान [illegible] मिट्टी की डोल/मेडबन्दी को किसी प्रकार से ध्वस्त/खुर्दबुर्द नहीं [illegible] नही करें एवं वादीगण के कृषकिय कार्य में व्य[illegible] वादीगण को मौके से बेदखल नही करें, वादीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा/[illegible]हमत उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

5. हमारे द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 14 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 स्वयं, उनके वारिसान एजेन्ट आदि को वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ग्राम चीताखेड़ा स्थित ख0नं0 232 रकबा 08-04-00 भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान आदि नहीं करने, वादीगण के कृषि कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, व्यवधान आदि कारित नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15/12/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested